भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2917

दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

कार्बन क्रेडिट राशि संबंधी आंकड़ा

2917. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2019 से अब तक उसके क्षेत्राधीन कार्बन क्रेडिट की कुल राशि संबंधी कोई आकड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ख) क्या सरकार के पास कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया के लिए पर्याप्त आउटरीच प्रणाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विभिन्न हितधारकों से जुड़े प्रोत्साहनों और ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास निजी कंपनियों और व्यक्तियों को कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोई अन्य प्रणाली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में अधिसूचित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत अभी तक कोई कार्बन क्रेडिट जारी नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) : कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) को विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में अधिसूचित किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने सीसीटीएस के प्रत्येक अनुपालन चक्र में निर्धारित जीएचजी उत्सर्जन में कमी के मानदंडों का अनुपालन करने के लिए बाध्य कंपनियों के लिए अनुपालन तंत्र के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की है। इस स्कीम में ऑफसेट तंत्र भी निर्धारित किया गया है, जिसके तहत गैर-बाध्य कंपनियां कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जीएचजी उत्सर्जन में कमी या हटाने या बचने के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं।

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) सीसीटीएस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे देश में क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाओं और ऑनलाइन वेबिनार का सक्रिय रूप से आयोजन कर रहा है।

सीसीटीएस की ऑफसेट प्रणाली के तहत गैर-बाध्यकारी कंपनियां जैसे निजी फर्म और व्यक्ति कार्बन क्रेडिट प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जीएचजी उत्सर्जन में कमी या हटाने या बचने के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं। इन क्रेडिट का व्यापार किया जा सकता है और इस प्रकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए बाजार आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है।

****